उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
CIN:U32201UP1999SGC024928.

निर्गत

संख्या–1269–अधि०प्रब०–03 / पाकालि / 2020–3(233)ई0एम0–03 / 2010 **दिनांकः 18 सितम्बर, 2020.**

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन विस्तार।

विषय : श्री अशोक कुमार शर्मा (2010233), सेवानिवृत्त (दिनांक 31.07.2014) सहायक अभियन्ता को पेंशन व ग्रेच्युटी अधिकृत किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

श्री अशोक कुमार शर्मा (अभिज्ञान संख्या–2010233, सम्प्रेक्षा सं0–ए–1079), सेवानिवृत्त (दिनांक 31.07.2014) सहायक अभियन्ता के विरूद्ध पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ में अनुशासनिक कार्यवाही व जांच प्रकरण लम्बित होने के कारण उन्हें कारपोरेशन के पत्र संख्या–1455–अधि0प्रब0–03 / पाकालि / 14–3(233) ई0एम0 –03 / 2010, दिनांक 14.08.2014 द्वारा श्री शर्मा की ग्रेच्युटी का भुगतान रोकते हुए अनन्तिम (PROVISIONAL) पेंशन अधिकृत की गयी थी।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की याचिका–ए–सं0–9336 / 2016 श्री अशोक कुमार शर्मा बनाम मेरठ डिस्काम में दिनांक 21.01.2.020 को पारित आदेशों का अनुपालन कोरोना महामारी के कारण निर्धारित 02 माह की अवधि में पूर्ण नहीं हो पाने के कारण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में निवेशित की गयी अवमानना याचिका (सिविल) संख्या–2267 / 2020 श्री अशोक कुमार शर्मा बनाम श्री अरविन्द मलप्पा बंगारी, प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ में श्री शर्मा के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही प्रकरण के निस्तारण से मा0 न्यायालय को नियत दिनांक 07.09.2020 तक अवगत कराया जाना अपेक्षित था। इस क्रम में उक्त अवमानना याचिका के अंतर्गत मा0 उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय दिनांक 07.09.2020 द्वारा श्री शर्मा के सम्बन्ध में कारपोरेशन के स्तर पर अनुपालन किये जाने के दृष्टिगत, प्रश्नगत अवमानना याचिका को पत्रावलीगत करने के आदेश भी निर्गत किये जा चुके हैं।

पावर कारपोरेशन द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिकों के विरूद्ध सी0एस0आर0–351–ए व 351–बी के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश संख्या–1725–शि0जॉ0–05सी / पाकालि / 2020–7(07)05सी / 20, दिनांक 04.09.2020 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा श्री अशोक कुमार शर्मा (2010233), तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, जानसठ सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा उक्त पद पर तैनाती अवधि में उपभोक्ता, बी0आई0टी0 कालेज, मुजफ्फर नगर के परिसर तक 11 के0वी0 लाई निर्माण में विभागीय सामग्री यथाः–8.5 मीटर लम्बे 152 पी0सी0सी पोल व कुल 17 कि0मी0 लाईन में 24000 मीटर ए0सी0एस0आर0 वीजल कन्डक्टर लगाये जाने में रू0–8,25,200 / – की विभागीय सामग्री का दुरूप्योग किये जाने व मै0 भगवन्त पुर एजूकेशनल डवलपमेंट सोसायटी, भगवन्त पुर, बिजनौर रोड, मीरापुर के 11 के0वी0 लाईन के निर्माण में विभागीय सामग्री के दुरूपयोग की समय से एफ0आई0आर0 सम्बन्धित थाने में दर्ज नहीं कराये जाने के कारण विभागीय क्षति की वसूली श्री शर्मा की पेंशन व ग्रेच्युटी से किये जाने हेतु निम्नलिखित दण्ड के साथ अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गयी हैः–

1. रू0–8,25,200 / – (रू0 आठ लाख पच्चीस हजार दो सौ मात्र) की वसूली श्री अशोक कुमार शर्मा के सेवानिवृत्ति देयों से कर ली जाए।
2. श्री अशोक कुमार शर्मा की पेंशन से 05 प्रतिशत की कटौती कर ली जाए।

अतः उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में अंगीकृत परिषदादेश सं0–893–पेंशन–31 / रा0वि0प0 / 461

(पी)1/89 दि0 21.06.91 (यथा संलग्न शासनादेश सं0–सा–3/1713/10–89–933/89 दि0 28.07.89) में निहित प्राविधानानुसार मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया श्री अशोक कुमार शर्मा (अभिज्ञान संख्या–2010233, सम्प्रेक्षा सं0–ए–1079), सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता से निम्नानुसार विभागीय क्षति की वसूली व पेंशन कटौती करते हुए अंतिम पेंशन व ग्रेच्युटी स्वीकृत कर दी जाये:–

1. श्री अशोक कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता की ग्रेच्युटी से रू0 8,25,200/– (रू0 आठ लाख पच्चीस हजार दो सौ मात्र) की वसूली कर ली जाए।
2. श्री अशोक कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता की पेंशन से 05 प्रतिशत की कटौती कर ली जाए।

उपर्युक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि श्री शर्मा को विभागीय आवास यदि आवंटित रहा हो, खाली कर दिया गया हो तथा इन पर कोई रेन्ट/पेनल रेन्ट व विविध अग्रिम आदि बकाया न हो। श्री शर्मा (वरिष्ठता कमांक–6784), अवर अभियन्ता से प्रोन्नत सहायक अभियन्ता हैं, इनके अवर अभियन्ता काल से सम्बन्धित अवशेष देयों, यदि कोई हों, का समायोजन भी सुनिश्चित कर लिया जाये।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(हिमांशु वार्ष्णेय)
उप सचिव (अ0प्र0–03)

संख्या–1269(1)अधि0प्रब0–03/पाकालि/2019, दिनांक 18.09.2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

पंजीकृत
1. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ को पत्र सं0–2600/पी0वी0वी0 एन0एल0/एम0आर0/डी0पी0/570, दिनांक 17.08.2012 के सन्दर्भ में।
2. अपर सचिव–तृतीय, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन।
3. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन।

पंजीकृत
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सहारनपुर।

पंजीकृत
5. श्री अशोक कुमार शर्मा सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, मकान नं0–ए–13, देहरादून रोड, सहारनपुर–247001.

(हिमांशु वार्ष्णेय)
उप सचिव (अ0प्र0–03)

प्रतिः–कट फाईल/कारपोरेशन की वेबसाईट में अपलोड हेतु।